खण्ड–21, अंक–09
शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(14 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किये जाने की माँग	1–2
प्रश्नोत्तर	3–19
नियम–310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा किये जाने की माँग	19–23
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं...	23–24
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में पट्टी सकलाना के मजगाँव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान बिथ्याणी में उप तहसील भवन का निर्माण एवं सभी पदों में नियुक्ति एवं तहसील का पूर्ण संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद रुद्रप्रयाग में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण–शीर्ण भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	25–26
प्रदेश में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में मानकों के अनुरूप सफाई कर्मचारी तैनात करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	26
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष, 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा गया)	27
केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–182 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन (सदन के पटल पर रखा गया)	27
जनपद देहरादून शहर के बीच में स्थित मौहल्ला वासियों के लिए सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) –	28
जनपद देहरादून शहर के बीच में बहने वाले नालों को कवर करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	28
जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी, विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	28–29

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)		29
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित)		29—30
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें		30—36
वित्तीय वर्ष, 2008—09 के आय—व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदानः—		
अनुदान संख्या—01, विधान सभा... ...	(स्वीकृत)	36—37
अनुदान संख्या—03, मंत्रि—परिषद् ...	(स्वीकृत)	37
अनुदान संख्या—04, न्याय प्रशासन विभाग ...	(स्वीकृत)	38
अनुदान संख्या—05, निर्वाचन विभाग ...	(स्वीकृत)	39
अनुदान संख्या—07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	(स्वीकृत)	39—40
अनुदान संख्या—10, पुलिस एवं जेल विभाग ...	(स्वीकृत)	40—42
अनुदान संख्या—21, ऊर्जा विभाग ...	(स्वीकृत)	42—44
अनुदान संख्या—22, लोक निर्माण कार्य ...	(स्वीकृत)	44—45
अनुदान संख्या—15, कल्याण योजनाएं ...	(स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या—23, उद्योग विभाग ...	(स्वीकृत)	45—46
अनुदान संख्या—14, सूचना विभाग ...	(स्वीकृत)	47—49
अनुदान संख्या—30, अनुसूचित जातियों का कल्याण	(स्वीकृत)	49—50
अनुदान संख्या—31, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	(स्वीकृत)	50—51
अनुदान संख्या—29, औद्यानिक विकास विभाग ...	(स्वीकृत)	51—52
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 (पारित)		53—57
कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश ...	(स्वीकृत)	57—58
उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...		58
उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत)		58
राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का पुनः परिसीमन कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित...		58—59

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	59
जनपद हरिद्वार के वि0स0 क्षेत्र लालढांग में दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों को तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दैवीय आपदा योजना मद से स्वीकृति एवं धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	60
उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों में निवास कर रही आदिम जन जातियों का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में श्री गगन सिंह रजवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	60–62

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती आशा
5. श्री ओम गोपाल
6. श्री करन मेहरा
7. सुश्री कैरन हिल्टन
8. श्री किशोर उपाध्याय
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिवाकर भट्ट
26. श्री दिवान सिंह
27. श्री नारायण पाल
28. काजी मौ0 निजामुद्दीन
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पन्त
31. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33. श्री प्रेमानन्द महाजन
34. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35. श्री बलवीर सिंह नेगी
36. श्री बिशन सिंह चुफाल
37. श्री बंशीधर भगत
38. श्री बृज मोहन कोटवाल
39. श्री भगत सिंह कोश्यारी
40. श्री मदन कौशिक
41. श्री मनोज तिवारी
42. श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'महूँ भाई'
43. श्री मातबर सिंह कण्डारी
44. श्री मुन्ना सिंह चौहान
45. श्री यशपाल आर्य
46. श्री यशपाल बेनाम
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
49. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
52. श्रीमती वीना महराना
53. श्री शहजाद
54. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
56. श्री सुरेन्द्र राकेश
57. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
58. श्री सुरेश चन्द जैन
59. डा0 हरक सिंह रावत
60. श्री हरभजन सिंह चीमा
61. श्री हरिदास
62. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनाँक 14 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा किये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष-

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बातों को कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री करन मेहरा, श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री जोत सिंह गुनसोला एवं श्री केदार सिंह रावत द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त हुई है। जो राज्य में विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में है। आप इससे सहमत होंगे कि यह विषय परिसीमन आयोग तथा केन्द्र सरकार का है। मैं इसे नियम-310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल जी की है। जो ऊधमसिंह नगर के ब्लाक सितारगंज, खटीमा, गदरपुर-पंतनगर, रुद्रपुर, जसपुर तथा बाजपुर आदि क्षेत्रों में डैम के किनारे लोगों को भूमि के पट्टे जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह विषय सदन के संज्ञान में लाया जा चुका है और दिनाँक 11-03-2008 को माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा इस विषय को विस्तार से उठाया गया है। प्रक्रिया नियम-53 (4), 60 (1), 60 (5) और 107 (5), में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे विषयों पर फिर से चर्चा नहीं की जायेगी अथवा ऐसे विषयों की पुनरावृत्ति नहीं होगी जो उसी सत्र अथवा पिछले छः माह के भीतर पहले उठाये गये हों। अतः मैं इसे नियम-310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री तिलक राज बेहड़, श्री गोपाल सिंह, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल एवं कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री केदार सिंह रावत, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल, श्री बलबीर सिंह नेगी

और श्री जोत सिंह गुनसोला तथा सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम और उत्तराखण्ड क्राँतिदल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' में आ गये और जोर-जोर से अपनी बात कहने लगे तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप इस विषय को किसी और तर्कसंगत नियमों के अन्तर्गत अथवा संकल्प के रूप में या किसी और रूप में लायें तो फिर इस पर चर्चा कराई जा सकती है और विचार भी हो सकता है। मैं मानता हूँ कि यह गम्भीर विषय है। लेकिन यह नियम-310 का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य पहले अपने स्थान पर जायें और आसन ग्रहण करें। जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि यह विषय परिसीमन आयोग तथा केन्द्र सरकार का है। यह विषय सदन में नहीं उठाया जा सकता है।

(माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर पुनः नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। मैं इसे नियम-310 के अन्तर्गत नहीं सुनूँगा क्योंकि यह इस नियम में नहीं आता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग करें। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप किसी दूसरे नियम में ले आयें उसमें मैं इसे सुनूँगा। चूँकि यह प्रकरण नियम-310 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है। यह मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप इस मामले को संकल्प में ले आयें। इस पर चर्चा करा देंगे। कृपया माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नारे लगाने का मंच नहीं है। आप नियमों के अन्तर्गत अपनी बात कहें। यह 310 में सम्भव नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री कुँजवाल जी और माननीय श्री माहरा जी, आप लोग वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। आप नियमों से भली-भाँति अवगत हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11:45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

ताराँकित प्रश्न

शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण

*1. श्री तिलक राज बेहड़–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को नियमित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा मित्र संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत हैं, तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) संख्या–3595–3612/1999, सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य में दिनाँक 10–04–2006 को पारित आदेश के दृष्टिगत संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं तदर्थ कार्मिकों का नियमितीकरण किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

अतारॉकित प्रश्न

प्रदेश के सुदूर प्रा0 विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को वेतन एवं स्थाई नियुक्ति

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अभ्यर्थियों से सुदूर प्रा0 विद्यालयों एवं डायट में अध्यापन/प्रशिक्षण का कार्य कितने–2 माह से लिया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि ऐसे अभ्यर्थियों को वेतन का आहरण पिछले 6 माह से नहीं किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों?

सरकार द्वारा उक्त अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थाई नियुक्ति कब तक दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

विशिष्ट बी0टी0सी0 पदों का आवंटन जनपदों में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष हुआ है। अतः रिक्त पदों के सापेक्ष ही चयनित अभ्यर्थियों को क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु विद्यालय आवंटित किये गये हैं। जिनमें से कुछ अभ्यर्थियों को 06 माह पूर्ण हो चुके हैं तथा कुछ को 06 माह पूर्ण होने जा रहे हैं। एन0सी0टी0ई0 मानकों के अनुसार विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अब एक वर्ष का हो जाने से विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं को अभी और प्रशिक्षणरत् रहना होगा।

जी हाँ।

क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों को वेतन भुगतान किये जाने का प्राविधान नहीं है।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा में स्टेडियम हेतु भूमि हस्तान्तरण

2. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की खटीमा तहसील में स्टेडियम हेतु तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज की वीट संख्या उत्तरी बनबसा कम्पाट नं0–4 में लगभग 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु खेल विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है?

यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रगति क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

युवा कल्याण एवं खेल मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

खेल विभाग नहीं अपितु युवा कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा तहसील में स्टेडियम हेतु तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा रेंज की वीट संख्या उत्तरी बनबसा कम्पाट नं0–4, खटीमा–पूरनपुर मार्ग झनकईया, बंगाली कालोनी के पास खाली पड़ी 10 एकड़ भूमि में स्टेडियम बनवाये जाने की सहमति हेतु भूमि हस्तान्तरण के लिए, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी को भूमि के निरीक्षण हेतु लिखा गया जिसके क्रम में भू वैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु चयनित स्थल, दिशा, निर्माण का डिजाइन व क्षेत्रफल सहित मानचित्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, ऊधमसिंह नगर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ऊधमसिंह नगर को लिखा गया।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ऊधमसिंह नगर द्वारा अवगत किया गया है कि प्रस्तावित कार्य स्थल पर जगह–जगह तालाब बने हैं, इस भूमि को समतल करने पर लगभग 150.00 लाख लागत आने की सम्भावना है। फलस्वरूप उचित होगा कि प्रस्ताव निर्माण हेतु यदि अन्यत्र समतल एवं उपयुक्त भूमि हो तो इसकी ड्राइंग एवं डिजाइनिंग पर कुल लागत का 0.50 से 4.50 प्रतिशत ही व्यय आयेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालयों तथा रा0इ0 कालेजों में स्वीकृत पद कार्यरत शिक्षकों तथा रिक्त पदों का विवरण

3. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अधिकांश राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय इण्टर कालेजों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयवार स्वीकृत पदों, कार्यरत शिक्षकों और रिक्त पदों का विवरण क्या है और रिक्त पदों पर कब तक शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण स्वीकृत पदों, कार्यरत शिक्षकों एवं रिक्त पदों की सूचना समेकित रूप से निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है:–

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्रवक्ता	1397	915	482
सहायक अध्यापक एल0टी0	2600	2092	508

पदों का रिक्त होना एवं उन पर नवीन नियुक्ति अथवा पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति करते हुए तैनाती किया जाना एक नियमित प्रक्रिया है, जो सदैव गतिमान रहती है।

शिक्षा आचार्यों को हटाये जाने के कारण तथा इन्हें सर्वशिक्षा अभियान में समायोजन किये जाने पर विचार

4. श्री केदार सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा आचार्यों को सेवा से हटाने का क्या कारण है?

क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान में इन्हें समायोजित किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा उत्तराखण्ड में संचालित समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को माह दिसम्बर, 2007 तक संचालित करने के लिए बजट की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी थी कि प्रदेश सरकार इन संचालित शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को सतत् बनाये रखने हेतु सर्व शिक्षा अभियान समाप्ति के पश्चात भी अपने व्यय पर जारी रखेगी।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को उपरोक्तानुसार सहमति प्रस्ताव इस निवेदन के साथ प्रेषित किया गया कि परियोजना अवधि तक शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ही सतत् बनाये रखा जाय।

चूँकि 31 दिसम्बर, 2007 तक भारत सरकार से शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के सततीकरण का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाया, अतः राज्य में संचालित इन शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से बन्द कर शिक्षा आचार्यों को हटाने के निर्देश दिये गये।

वर्तमान में भारत सरकार से इन केन्द्रों को दिनाँक 01–01–2008 से दिनाँक 31–03–2008 तक संचालित करने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अतः पूर्व में संचालित इन शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को दिनाँक 31–03–2008 तक पूर्ववत् संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना वैकल्पिक रूप से की जाती है तथा समय–समय पर 02 वर्ष पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार के मानकानुसार प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को नवीन प्राथमिक विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत कर दिया जाता है। अतः शासनादेशानुसार उच्चीकृत शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में कार्यरत न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विधिवत् रूप से चयनित शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र के रूप में तैनात किये जाने का प्राविधान है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के उच्चीकरण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खुलने की स्थिति में पूर्व से संचालित शिक्षा गारण्टी केन्द्रों को बन्द कर दिया जाता है। इन केन्द्रों में कार्यरत आचार्यों को शिक्षा मित्र के रूप में तैनात किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (ए0आई0ई0) में कार्यरत आचार्यों को भी शिक्षा मित्र के रूप में तैनात किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

चूँकि शिक्षा गारण्टी केन्द्र शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संचालित होते हैं। अतः सम्बन्धित आचार्यों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित करने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल में अनुपस्थित व्यायाम शिक्षक पर कार्यवाही

5. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, घोड़ियानाखाल में व्यायाम शिक्षक एक लम्बी अवधि से अनुपस्थित है?

यदि हाँ, तो उक्त शिक्षक कब से अनुपस्थित है और सम्बन्धित शिक्षक के प्रति विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

क्या सरकार लम्बी अवधि से अनुपस्थित शिक्षक के स्थान पर अन्य व्यायाम शिक्षक की तैनाती करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

विगत 05 वर्षों से अनुपस्थित है। अनुपस्थित शिक्षक के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुपस्थित शिक्षक की सुनवाई/सेवा समाप्ति की कार्यवाही हेतु मण्डलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

जी हाँ।

सहायक अध्यापक व्यायाम की नियुक्ति कर दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में राज0 आदर्श विद्यालयों में छात्र मानकानुसार अध्यापकों की तैनाती

6. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व में संचालित राजकीय आदर्श विद्यालयों में पठन–पाठन कार्य त्वरित संचालन तथा छात्रहित में छात्र मानकानुसार अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित करने विषयक आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राप्त हुआ था?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी में वर्तमान समय में संचालित राजकीय आदर्श विद्यालयों में छात्र मानकानुसार अध्यापकीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी में 28 राजकीय आदर्श विद्यालयों में से 23 राजकीय आदर्श विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित किया गया है। छात्र पंजीकृत न होने के कारण 01 राजकीय आदर्श विद्यालय पूर्व में ही बन्द हो चुका है। 04 राजकीय आदर्श विद्यालयों में छात्र मानकानुसार अध्यापकों की तैनाती स्थानान्तरण/पदोन्नति से कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में रा0इ0का0 साल्ड के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

7. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में राजकीय इण्टर कालेज, साल्ड के मुख्य भवन निर्माण का आगणन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्रॉक 19053–57/2005–06, दिनॉकः 6–1–2006 के द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति हेतु शिक्षा निदेशालय को प्रेषित किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त आगणन स्वीकृत कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित आगणन पुरानी दरों पर गठित होने के कारण शिक्षा निदेशालय से संशोधित आगणन प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्रता से कार्यवाही की जायेगी।

उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री अन्तर्गत सौन्दगाँव, मराड़ी, धारकोट डुण्डा तथा भटवाड़ी के क्षतिग्रस्त प्रा०थ० विद्यालयों का पुनर्निर्माण

8. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री, उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालय सौन्दगाँव, मराड़ी धारकोट, विकास खण्ड डुण्डा तथा प्राथमिक विद्यालय, साल्ड, विकास खण्ड भटवाड़ी के भवन क्षतिग्रस्त हैं?

क्या सरकार छात्र हित में क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

सौन्दगाँव विधान सभा क्षेत्र, यमुनोत्री में स्थित है। सौन्दगाँव नाम से कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है अपितु इसी गाँव के समीप प्रा०वि० मजगाँव के नाम से विद्यालय है, जिसका पुनर्निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2006–07 में स्वीकृत बजट से करवाया जा चुका है। प्रा०वि० मराड़ी का भवन दिनाँक 8–5–2007 को आये भयंकर तूफान से क्षतिग्रस्त है, जिसकी वृहद् मरम्मत दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रा०वि० धारकोट डुण्डा का विद्यालय भवन भी क्षतिग्रस्त है, जिसकी वृहद् मरम्मत हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में रु० 60000.00 (रु० साठ हजार मात्र) स्वीकृत किये गये हैं।

प्रा0वि0 साल्ड, भटवाड़ी दिनाँक 8–5–2007 के भयंकर तूफान से क्षतिग्रस्त है, जिसकी वृहद् मरम्मत हेतु सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2008–09 में रु0 75000.00 (रु0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अमर शहीद श्रीदेव सुमन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने की योजना

9. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अमर शहीद श्रीदेव सुमन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो किस सत्र से उक्त अमर शहीद की जीवनी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू है तथा एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें संचालित हैं।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 बीरोंखाल के प्रा0वि0 गढ़कोट में दिनाँक 16–08–2007 से 16–10–2007 तक मध्याह्न भोजन बन्द रहने पर कार्यवाही

10. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के प्राथमिक विद्यालय गढ़कोट में मध्याह्न भोजन दिनाँक 16–08–2007 से 16–10–2007 तक बन्द रहा?

यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है?

क्या सरकार उत्तरदायी के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

दिनाँक 16–8–2007 से दिनाँक 13–10–2007 तक उक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रभावित रहा।

इसके लिए ग्राम प्रधान, गढकोट उत्तरदायी है।

प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी से अनुरोध किया गया है। उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, समन्वयक, बी0आर0सी0 बीरोंखाल व समन्वयक, बी0आर0सी0 पंचराड को चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पब्लिक स्कूलों में पिछड़े–गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को 25% आरक्षण का लाभ

11. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के पब्लिक स्कूलों में पिछड़े–गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को रियायती दरों पर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

शिक्षा विभाग को अभी तक इस सम्बन्ध में किसी भी संस्था व व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन/माँग उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0इ0का0 अगस्त्यमुनि में एन0सी0सी0, सीनियर डिवीजन की स्वीकृति

12. श्रीमती आशा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0इ0 कालेज, अगस्त्यमुनि में एन0सी0सी0, सीनियर डिवीजन स्वीकृत किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

राजकीय इण्टर कालेज, अगस्त्यमुनि में एक सीनियर डिवीजन प्लाटून की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। ट्रैनिंग वर्ष 2008 से प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के सुदूर प्राथ0 विद्यालयों में कार्यरत विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं के नियमितीकरण पर विचार

13. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सुदूर प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि हाँ, तो कब इन प्रशिक्षुओं को सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है।

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

एन0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार 01 वर्ष का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के उपरान्त सफलता पूर्वक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इन प्रशिक्षुओं को नियमानुसार नियमित किया जायेगा।

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज0 हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती

14. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों और इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों के कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं?

और इन पदों पर तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्यों के शत–प्रतिशत पद पदोन्नति से भरने का प्राविधान है तथा कब तक इन रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी?

श्री मदन कौशिक–

विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के रिक्त चले आ रहे पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	वर्ष जब से पद रिक्त हैं	प्रधानाध्यापक	प्रधानाचार्य
1.	2000	01	23
2.	2001	02	06
3.	2002	01	03
4.	2003	02	16
5.	2004	03	23
6.	2005	105	20
7.	2006	137	27
8.	2007	321	46
9.	2008	08	13

प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने की कार्यवाही शासन एवं विभागीय स्तर पर गतिमान है।

जी हाँ। वर्तमान में रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही शासन एवं विभागीय स्तर पर गतिमान है।

राज्य के शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति

15. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के शिक्षा आचार्य, शिक्षा मित्र पद पर नियुक्ति हेतु आन्दोलित हैं?

क्या सरकार शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

मात्र उच्चीकृत प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों में कार्यरत ऐसे शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र के रूप में तैनात किया जा सकता है, जो शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अर्हताएँ पूर्ण करते हों व जिन्हें ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विधिवत् रूप से चयनित किया गया हो।

चूँकि उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों (ए0आई0ई0) के उच्चीकरण का प्राविधान नहीं है। अतः इनमें कार्यरत शिक्षा आचार्यों को शिक्षा मित्र के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता है।

जैसे–जैसे प्राथमिक स्तरीय शिक्षा गारण्टी केन्द्र उच्चीकृत होते रहेंगे, तो उनमें कार्यरत न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विधिवत् रूप से चयनित आचार्य शिक्षा मित्र के रूप में तैनात होते रहेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र गंगोत्री के हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

16. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री (उत्तरकाशी) अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों के कुल कितने पद रिक्त हैं?

इन रिक्त पदों पर प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री (उत्तरकाशी) अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों के कुल रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

1.	प्रधानाध्यापक–	13 पद
2.	प्रधानाचार्य–	08 पद
	कुल रिक्त पद–	21 पद

सेवा नियमावलियों में उल्लिखित सेवा शर्तों के मानकों यथा अर्हकारी सेवा आदि को पूर्ण करने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संचालन मदन नेगी के बजाय नयी टिहरी से किया जाना

17. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भवन वर्ष, 1996 से मदन नेगी में निर्मित है, परन्तु उक्त संस्थान का संचालन नई टिहरी में हो रहा है?

क्या यह सत्य है कि संस्थान के संचालन हेतु बना भवन बिना उपयोग एवं देख–रेख न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है?

यदि हाँ, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संचालन मदन नेगी स्थित भवन में कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

(संस्थान का नवीन भवन वर्ष 1997 में मदन नेगी में निर्मित किया गया)

जी हाँ।

जी हाँ।

जब तक मदन नेगी स्थित भवन में छात्रावास, पेयजल, आवास एवं मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती।

जनपद उत्तरकाशी के प्राथ0/उच्च प्राथ0 विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवनों में सी0सी0 छतें डालने की कार्य योजना

18. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों की जी0आई0 सीट से आच्छादित छतें आँधी–तूफान से क्षतिग्रस्त हो रही हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय भवनों की छतें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सी0सी0 छतें डालने की कार्ययोजना बनायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद में डी0पी0ई0पी0 एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्मित, निर्माणाधीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के डिजायन सी0बी0आर0आई0, रुड़की द्वारा निर्मित व अनुमोदित हैं, तद्नुसार ही निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा किया जा रहा है।

जनपद उत्तरकाशी विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भवनहीन इण्टर कालेजों हेतु भवन एवं क्षतिग्रस्त भवनों का पुनर्निर्माण

19. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत गंगोत्री, विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने इण्टरमीडिएट कालेज भवनहीन हैं एवं कितने भवन क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं?

क्या सरकार भवनहीन कालेजों हेतु भवन निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवनों के पुनर्निर्माण हेतु कदम उठा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र में कोई भी इण्टरमीडिएट कालेज भवनहीन नहीं है तथा पाँच इण्टरमीडिएट कालेज क्षतिग्रस्त हैं।

जी हाँ।

बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रुद्रपुर स्टेडियम हेतु पदों का सृजन

20. श्री तिलक राज बेहड़–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रपुर स्टेडियम, जनपद ऊधमसिंह नगर के सुचारू संचालन हेतु पदों का सृजन हो गया है?

यदि हाँ, तो कितने पदों का सृजन हुआ है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राज्य के प्रत्येक जनपद हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी एवं सहायक प्रशिक्षक के 1–1 पद सृजित हैं। अतः जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु भी इतने पदों का सृजन पूर्व में हो चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी स्थित राज0 हाईस्कूल निवाल गाँव में अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती

21. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के रा0 हाईस्कूल, निवाल गाँव (मेवाल गाँव) में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जनपद टिहरी गढ़वाल के रा0 हाईस्कूल, निवाल गाँव (मेवाल गाँव) में अध्यापकों के कुल 07 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में नये प्राथ0 विद्यालय खोलने हेतु प्रक्रिया

22. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की स्वीकृति की कोई प्रक्रिया निर्धारित है?

यदि हाँ, तो क्या जनपद देहरादून में उसका पालन किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार ने कहा था कि हम इसी सप्ताह के अन्दर जाति प्रमाण–पत्र की रिपोर्ट सदन में लाएंगे। सदन में नहीं आएगी तो चर्चा कहाँ से होगी? आज सदन का आखिरी दिन है।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर एक साथ अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है कि आज आखिरी दिन है।

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों के आसन के समीप आकर अपनी बात कहने लगे किन्तु सदन में घोर व्यवधान होने के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष–

अभी किसी भी स्तर पर यह निर्धारित नहीं हुआ है कि आज सदन का आखिरी दिन है। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। कृपया अपने स्थान पर जाइये।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ ने कार्य सूची फाड़कर सदन में उछाली।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग मुझे बता दीजिये, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिये कि जो मामला उच्च न्यायालय में लम्बित हो, जो मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हो, जो मामला परिसीमन आयोग से सम्बन्धित हो, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं तो किस नियम के तहत कर सकते हैं, आप बता दें, मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जो बात माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हो, उस पर सदन में चर्चा कैसे हो सकती है? मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, सरकार को भी मैं अनुमति नहीं दे सकता।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जो मामला उच्च न्यायालय और परिसीमन आयोग में लम्बित हो, उस विषय को यहाँ पर नहीं उठाया जा सकता, संसद की बातों का यहाँ संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। जिस पर चर्चा सम्भव ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नियमों के विपरीत तथा परम्पराओं के विपरीत किसी बात पर मैं सहमत नहीं हूँ।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, जो विषय उच्च न्यायालय में लम्बित हो, जो विषय परिसीमन आयोग में लम्बित हो, उस पर यहाँ पर कैसे चर्चा हो सकती है? आप मुझे यह बता दीजिये कि किन नियमों के अन्तर्गत इस बात को मैं ले सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि इसको नहीं उठाया जा सकता है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी-अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ बता दीजिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, यदि आप निदेश दें तो सर्वदलीय समिति अपना प्रतिवेदन आज प्रस्तुत कर सकती है और जो उस समिति के माननीय सदस्यगण हैं, वह सायं 05:00 बजे तक अपनी विमति टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारा जो 18 मार्च को सदन प्रस्तावित है, इस पर उस दिन चर्चा हो सकती है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिवेदन पर चर्चा 18–03–2008 को प्रतिवेदन रखे जाने के पश्चात् की जा सकती है।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय माहरा जी, मैं उल्लेख करना चाह रहा था, यदि आप इस पर विचार करें तो, अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो आपके द्वारा तैयार नियमावली है, उसी पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसे तो आप भिज्ञ हैं फिर भी उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली–2005 के नियम–30 को आप देख लीजिए। इसमें दिया है कि "कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो।" नियम–30 के उप नियम–9 में उल्लिखित है कि "उसमें किसी न्यायाधीश या न्यायालय के, जिसको भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निदेश नहीं होगा, जो उसके न्यायिक कृत्यों से सम्बद्ध हो," इस नियम के उप नियम–8 में लिखा है "उसमें किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में सूचना नहीं माँगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो," और नियम–107 को भी देख लीजिए इसमें "प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें–कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके तो इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा" इस नियम के उप नियम–7 में लिखा है कि "वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो;"

(माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों के आसन के समीप आकर अपनी बात कहने लगे, किन्तु सदन में घोर व्यवधान होने के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ा।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, यह नियम आपने ही बनाये हैं, माननीय सदन ने बनाये हैं। इनकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माननीय केदार सिंह जी, आप वकील भी हैं। आप इस विषय में थोड़ा मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दें कि इस सदन का क्या दायित्व है, संविधान की रक्षा करना। इस सदन का यह दायित्व है कि हम संविधान द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन न कर सकें, क्या हम उनका उल्लंघन करेंगे? आप मुझे बतायें किन नियमों के तहत बात कर लें, आप कोई नियम तो बताइये।

(माननीय सदस्य श्री केदार सिंह के द्वारा 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहा गया, लेकिन घोर व्यवधान के कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार नहीं है इसमें, कोई विशेषाधिकार नहीं है। आपके कहने से या मेरे कहने से विशेषाधिकार नहीं हो सकता। विशेषाधिकार नहीं है मेरे पास। जो अधिकार आप लोगों ने दिये हैं, उन अधिकारों के अधीन ही मैं कार्य कर सकता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो दोनों विषय माननीय सदस्य उठा रहे हैं, दोनों विषयों पर आपका विनिश्चय आ चुका है। जाति प्रमाण–पत्र के मुद्दे पर 18 मार्च, 2008 को सरकार को आपने इस पर चर्चा कराने के लिए निर्देश दिया है। सदन के अन्दर हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। प्रतिवेदन 18 मार्च को प्रस्तुत हो, सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो, इसका निर्देश प्राप्त हो चुका है और दूसरा विषय माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इन दोनों विषयों पर आज सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री खजान दास, श्री बृजमोहन कोटवाल, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री ओम गोपाल रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोगा राम टम्टा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल तथा

श्री गणेश जोशी की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री खजान दास, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री गोपाल सिंह राणा, श्री जोगा राम टम्टा, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री गणेश जोशी की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी एवं माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में पट्टी सकलाना के मजगाँव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में पट्टी सकलाना के मध्यस्थ क्षेत्र स्थान मजगाँव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विगत वर्ष 2000 से उक्त स्थान पर बैंक शाखा खोले जाने की माँग अनवरत की जाती रही है, किन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही की जानी प्रतीत नहीं हो रही है। मेरे द्वारा भी सरकार से अनेकों बार उक्त स्थान पर जनहित में बैंक शाखा खोले जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त स्थान पर बैंक न खोले जाने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि यह क्षेत्र वृहद् कृषि व्यवसायिक एवं फ्लोरी कल्चर व सब्जी उत्पादित क्षेत्र है। यहाँ पर बैंक शाखा न होने के कारण सम्बन्धित क्षेत्र के काश्तकारों को बैंक सम्बन्धी ऋण प्राप्त करने, धनराशि की बचत किये जाने तथा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित व लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा का नाम पुकारा गया किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी सूचना प्रस्तुत नहीं की।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री जोगा राम टम्टा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान बिथ्याणी में उप तहसील भवन का निर्माण एवं सभी पदों में नियुक्तियाँ एवं तहसील का पूर्ण संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। सन् 2006 में विकास खण्ड यमकेश्वर के स्थान बिथ्याणी में उप तहसील की स्थापना (स्वीकृति) की गई। यह उप तहसील एक पुराने मिलन केन्द्र पर चल रही है लेकिन इसमें तमाम तहसील के भूमि सम्बन्धी अभिलेख व अन्य कागजात रखने की जगह नहीं है और न ही इस तहसील के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों में कार्यवाही करने के लिए पूरे कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जिससे जनता को भूमि सम्बन्धी एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र व अन्य अभिलेख हेतु कोटद्वार तहसील में ही जाना पड़ता है। इससे लोगों को दुगना समय और धन अपने कार्य हेतु व्यय करना पड़ता है।

उपरोक्त तहसील भवन का निर्माण अविलम्ब कराये जाने एवं तहसील में सभी पदों में नियुक्ति एवं तहसील का पूर्ण संचालन कराये जाने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य तथा माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी और माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे तथा नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

जनपद रुद्रप्रयाग में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण–शीर्ण भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

मान्यवर, मैं सदन में सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान केदारनाथ विधान सभा, जनपद रुद्रप्रयाग में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण–शीर्ण भवनों के निर्माण के प्रति दिलाना चाहती हूँ। सरकारी तथा ग्रामीण जनता के सहयोग से बने इन विद्यालयों में विकास खण्ड ऊखीमठ के प्राथमिक विद्यालय पाली, कडवीधार, भैसारी, दिलमी, पठाली तथा अगस्त्यमुनि के जगोठ, रूमसी,

चमसिल सहित कई विद्यालयों में भवनों की स्थिति आज जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है तथा वह कभी भी गिर सकते हैं। छात्रों की पढ़ाई इन्हीं विद्यालयों में संचालित हो रही है। जिनका निर्माण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा विद्यालय भवन निर्माण के लिए विभाग से निवेदन किया गया है। लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गयी। यदि समय रहते विद्यालय के भवन निर्माण की कार्यवाही नहीं की गयी तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना से नकारा नहीं जा सकता है। जिससे ग्रामीणों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही की माँग करती हूँ।

प्रदेश में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में मानकों के अनुरूप सफाई कर्मचारी तैनात करने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश जोशी-

मान्यवर, मैं निम्नलिखित बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया इसकी अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। प्रदेश में नगर निगम व नगर पालिकाओं में मानकों के अनुरूप सफाई कर्मचारी तैनात नहीं हैं, जिससे नगर पालिका व नगर निगम प्रशासन को कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। प्रदेश का एक मात्र नगर निगम, देहरादून को बने हुये 10 वर्ष हो चुके हैं। अकेले देहरादून नगर निगम में पिछले कई वर्षों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं हुई है, 1900 कर्मचारियों के सापेक्ष मात्र 1000 कर्मचारी ही तैनात हैं। जिससे यहाँ की सफाई व्यवस्था पर इसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इस सन्दर्भ में कई बार शासन-प्रशासन से माँग की गई, किन्तु कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पायी।

अतः मैं औचित्य के इस प्रश्न पर नियम-300 के अन्तर्गत सूचना देते हुये तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले कई दिनों से सदन में यह परम्परा बनती जा रही है कि 'झूठ' शब्द का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है। मान्यवर, 'झूठ' शब्द असंसदीय है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही में जहाँ–जहाँ 'झूठ' शब्द का प्रयोग हुआ है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए तथा जो माननीय सदस्य अपने आसन पर विराजमान नहीं हैं, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष, 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–182 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–182 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियमों का संकलन को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जाति प्रमाण–पत्र सम्बन्धी सर्वदलीय समिति की अंतिम बैठक आज हो चुकी है और सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन तैयार हो गया है और उस पर विमति की टिप्पणी माँगी गई है। विमति की टिप्पणी के साथ यह प्रतिवेदन आज सायं तक या उपवेशन उठने से पूर्व पटल पर प्रस्तुत किया जा सकता है, यदि आपके निदेश हों तो। क्योंकि समिति की कार्यवाही में यह कहा गया है कि जो माननीय सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे विमति की टिप्पणी देना चाहें तो दे दें, उसे प्रतिवेदन के साथ संलग्न करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण और माननीय श्री शहजाद जी, श्री सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया मेरी बात सुन लें। जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बताया है कि प्रतिवेदन

तैयार हो चुका है और जो भी माननीय समिति के सदस्य इस सम्बन्ध में विमति की टिप्पणी देना चाहते हैं आज सायं–05:00 बजे तक दे दें, उसके बाद चर्चा हो जायेगी।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें, तभी आपकी बात सुनी जायेगी। इस सम्बन्ध में जब तक प्रतिवेदन नहीं आ जाता, इसमें चर्चा कैसे की जायेगी?

(घोर व्यवधान के मध्य)

[माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–06 पर माननीय सभापति आश्वासन समिति श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर श्री सभापति द्वारा समिति (2007–08) का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून शहर के बीच में स्थित मौहल्ला वासियों के लिए सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून शहर के बीच में स्थित मौहल्ला वासियों के लिए सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में" श्री आलोक अग्रवाल, 7, डाँडीपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून शहर के बीच में बहने वाले नालों को कवर करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून शहर के बीच में बहने वाले नालों को कवर करने के सम्बन्ध में" श्री आलोक अग्रवाल, 7, डाँडीपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी, विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री खजान दास–

मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील धनोल्टी, विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत पट्टी सकलाना को अन्य पिछड़ा वर्ग में लिए जाने के

सम्बन्ध में'' डा0 प्रेमलाल, पुत्र श्री लीलाधर एवं अन्य निवासीगण, ग्राम व पोस्ट–उनियालगाँव, पट्टी सकलाना, टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य याचिका उपस्थित करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तराँचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तराँचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तराँचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तराँचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

('वेल' में खड़े सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद एवं श्री सुरेन्द्र राकेश, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, तीसरी सूचना श्री करन मेहरा, चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, पाँचवी सूचना श्री मनोज तिवारी, छठी सूचना श्री तिलक राज बेहड़, सातवीं सूचना चौ0 यशवीर सिंह, आठवीं सूचना श्री हरिदास, नवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल, दसवीं सूचना श्री नारायण पाल तथा ग्यारहवीं सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन जी की है। कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश जी की सूचना, जो ट्रेजरी कर्मचारियों के सबन्ध में है, श्री करन मेहरा की सूचना, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में है और श्री मनोज तिवारी की सूचना, जो राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में है, जिसे मैं ग्राह्यता पर सुनना चाह रहा था, परन्तु सदन अव्यवस्थित होने के कारण मैं अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अभी भी आसन ग्रहण कर लें तो मैं सुन लेता हूँ। (व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने आसन से अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक उनके द्वारा कही गई बात रिकार्ड में नहीं आयेगी। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के एजेण्डे में बहुत ही महत्वपूर्ण मद संख्या–19 लगी है, जो सदन के सम्मुख आने वाली है और इस मद में जो करोड़ों रुपयों का बजट रखा गया है, यह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित है और यह विभिन्न विकास योजनाओं से भी सम्बन्धित है। इन मदों पर चर्चा होनी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक उनके द्वारा कही गयी कोई भी बात, रिकार्ड में नहीं आयेगी। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य शान्त होकर 'वेल' में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करुँगा, कृपया आसन ग्रहण करें। यह स्थान आप लोगों के बैठने का नहीं है। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, कॉंग्रेस तो कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ से प्रस्ताव पारित होकर जाए क्योंकि पिछली बार ये गलती कर चुके हैं और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अनुमति लेकर अपनी बात कहें। (व्यवधान) सम्मानित सदस्यगण, कृपया आसन ग्रहण करें। आज बहुत महत्वपूर्ण मदें हैं, जिन पर आज बजट में चर्चा होनी है। करोड़ों रुपये का बजट इसमें इन्वाल्व है, जिसमें आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रदेश के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आपके सुझाव आने बहुत जरूरी हैं। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, कृपया माननीय सदस्यों से अनुरोध कर लीजिए। सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चले इसके लिए सहयोग करा दीजिए। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कि आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में, लगातार इस सदन के अन्दर कई बार यह समस्या उठी है और इसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अन्दर पटल पर इसका प्रतिवेदन रखा जाएगा। आज हमारे तमाम साथी इस आशंका से ग्रसित हैं कि सरकार ने एक सप्ताह का जो वादा किया था, वह एक सप्ताह पूरा हो गया है और वह प्रतिवेदन पटल पर नहीं आया है। मैं तो आपसे सिर्फ यह आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार को आपका निर्देश हो जाए कि वे आज इस प्रतिवेदन को पटल पर रख दें और दूसरी बात, परिसीमन के मुद्दे पर है। यह बात ठीक है, जैसा आपने नियमों का उल्लेख किया है और अभी माननीय न्यायालय की बात भी आप द्वारा कही गयी है। लेकिन क्योंकि सब लोग जनप्रतिनिधि हैं और पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता इस सदन से और अपने जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद करती है कि उनके क्षेत्र की समस्या चाहे वह परिसीमन हो, चाहे कोई भी निर्णय हो, उस पर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए।

हमारा आपसे आग्रह है कि इन दोनों बिन्दुओं पर आधे–आधे घंटे की चर्चा आप स्वीकार कर लें। इसमें जो भी आपका निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा, लेकिन कम से कम हमारे सम्मानित सदस्यों की बातें और उनके क्षेत्र की भावना कि जनता क्या कहना चाहती है, तो कम से कम वह बातें भी सदन के पटल पर आ जायं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपकी बात समाप्त हो गई हो तो कृपया आसन ग्रहण करें। क्योंकि यह परम्परा है कि यदि नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, कोई माननीय सदस्य अपनी बात नहीं रखेंगे। माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी, वैसे तो इस पर विनिश्चिय भी आ चुका है, लेकिन फिर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिज्ञासा व्यक्त की है। हमारी नियमावली का उल्लेख हुआ है, संविधान की धाराओं का उल्लेख हुआ है और परिसीमन का मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है और दूसरी ओर यह परिसीमन आयोग का मामला है, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, तो थोड़ा सा प्रकाश आप भी इसमें डाल दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय राज्य में लागू किये गये परिसीमन से सम्बन्धित है, माह सितम्बर, 2006 में परिसीमन आयोग द्वारा इसका प्रथम पत्र परिचालित किया गया था और उस प्रथम पत्र के परिचालन के पश्चात् उसके सम्बन्ध में उस समय आपत्तियाँ जानी चाहिए थीं। लेकिन आपत्ति यहाँ से नहीं जा पायी और जिसके परिणाम स्वरूप परिसीमन आयोग ने अपने अन्तिम पत्र के प्रकाशन का कार्य किया और वह प्रकाशित हो गया। उसके बाद लोक सभा ने उसके प्रारूप को अंगीकृत किया और महामहिम श्री राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मुहर लगाई। इस सारे प्रकरण को यदि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और उसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं भी होता तो भी चूँकि राज्य की विधान सभा के कार्य क्षेत्र से बाहर का यह प्रकरण है। यह सीधे–सीधे संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और संविधान में संशोधन दो तिहाई बहुमत के साथ माननीय लोक सभा में सम्भव है। इसलिए इस सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती और हम यदि चर्चा करके संकल्प पारित करने का भी विषय रखें तो संकल्प विधिवत् प्रस्तुत किया जाना चाहिए, भले ही संकल्प असरकारी सदस्य प्रस्तुत करें। साथ ही इस पर आपका विनिश्चिय आ चुका है और चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए ऐसे कोई भी प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, हमारी कार्य संचालन नियमावली ऐसे प्रकरणों पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए अनुमति नहीं देती है। इसलिए आपके इस विनिश्चय को शिरोधार्य करते हुए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

जरा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में भी बता दीजिये।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्यगण पूर्ववत् बैठे रहे।)

श्री अध्यक्ष–

जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो सदन की कार्यवाही में भी आया। प्रतिवेदन्न सम्मिट करने का जो समय निर्धारित किया गया था, वह सदन के अंतिम दिन तक के लिए निर्धारित किया गया था। कार्य मंत्रणा समिति में यह तय किया गया

था। (व्यवधान) अगर आप कार्यवाही देखना चाहें तो मैं कार्यवाही दिखा देता हूँ। सदन के अंतिम दिन तक पेश कर दिया जायेगा।

('वेल' में बैठे माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी के कुछ कहने पर।)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये सदन की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार के लिए कहा था, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है और जो सदन की जानकारी में है। कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से यह तय किया था कि जो प्रतिवेदन है, इस सत्र के अंतिम दिन तक उसकी अवधि बढ़ायी गयी थी, वो आ जायेगा। उसकी कार्यवाही को मैं दिखवा लूँगा (व्यवधान) और माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कुछ बता रहे हैं, अगर आपके कुछ संज्ञान में, जानकारी में है तो बता दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जहाँ तक प्रतिवेदन आज प्रस्तुत करने का विषय है। अभी चूँकि आप कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे, उस समय यह बात स्पष्ट हो जायेगी। हमारी मंशा, जो सर्वदलीय समिति बनी थी, उसकी मंशा भी वही थी कि उसका प्रतिवेदन हम इस सप्ताह प्रस्तुत कर दें, इस सप्ताह हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। आपका विनिश्चय आ जाये तो उसे हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, आज ही शाम तक हम उसे प्रस्तुत कर देंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि आज सदन का अंतिम दिन नहीं है, अभी तो सदन आगे चलना है और उस दिन आप विधिवत् इसका प्रस्ताव देंगे तो उस प्रस्ताव के आधार पर चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं या तो आज सदन का अंतिम दिन होता, तो आज अंतिम दिन है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि कहीं और भी यह वादा हो, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसे अवगत कराया कि जब वे आज प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं और जहाँ तक चर्चा की बात है, चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके लिए दिन निर्धारित हो जाय लेकिन प्रस्ताव विधिवत् आ जाय तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज करोड़ों रुपये के ऊर्जा, पेयजल, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट लगे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव विधिवत् आना चाहिए, यह परम्परा हमारी ठीक पड़नी चाहिए। नियमावली के नियम–105 के तहत आप विधिवत् प्रस्ताव लायें। आप 310 में खड़े हो जाएंगे, आप 58 में खड़े हो जाएंगे। यह उचित बात नहीं है। कई माननीय सदस्य प्रथम बार चुनकर आये हैं, वो आखिर किस प्रक्रिया को सीखेंगे? यह मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि कम से कम नियमावली के अनुरूप ही सदन चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ये परिपाटी ऐसी न बने, परम्पराएँ ऐसी न बनें, जिससे आने वाले समय में सबको दिक्कत हो। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कहीं ऐसा न हो कि हमें इस प्रकार से याद किया जाय कि "लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी।" तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की परम्पराएँ बनें, वे स्वस्थ परम्पराएँ बनें, वह आने वाले समय के लिए मार्गदर्शक बनें। नियमावली का भी संज्ञान लेना पड़ेगा, संविधान का भी संज्ञान लेना होगा। सभी विषयों को अगर हम हल्के–फुल्के में लेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में बैठे रहे।)

(घोर व्यवधान)

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, आपने निर्देश भी दे दिये और संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन को आपकी अनुज्ञा से अवगत भी कराया, जिस तरह सरकार ने सत्र के अन्तिम दिन सुनिश्चित किया था।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में है।

(घोर व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, आज सत्र का अन्तिम दिन नहीं है, उसके बाद भी आपके निर्देश पर सरकार द्वारा यह विषय आ गया कि आज भी यदि आपका निर्देश होगा और कार्य मंत्रणा की कोई सिफारिश होगी तो आज भी आ सकता है। चर्चा के लिए भी तय है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव आयेगा उस पर विधिवत् चर्चा भी करा लेंगे। श्रीमन्, मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से, जब हम किसी चीज को तय करते हैं तो परम्परा यह भी होनी चाहिए कि जो तय है, उसको हम सुनिश्चित करें। (व्यवधान) श्रीमन्, जब सत्र के अन्तिम दिन तय हुआ था, उस पर समय भी बढ़ाया गया, आपका निर्देश होगा तो सत्र के अंतिम दिन से पहले भी आ रहा है। यह तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि यह अंतिम दिन से पहले आ रहा है। श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज तमाम महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं, क्या विपक्ष की मंशा नहीं है कि इन पर चर्चा हो? इन महत्वपूर्ण विभागों पर विपक्ष के बहुत अच्छे सुझाव भी आ सकते थे, विपक्ष ने तय कर लिया कि इस प्रदेश की जनता के हित में वह चर्चा करना नहीं चाहता है। श्रीमन्, जिस मुद्दे पर सरकार पूरी तरह आपके निर्देशों का पालन कर रही है, उनकी बातों को मान रही है। इस सबके बावजूद भी मेरा आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि विपक्ष को अपनी सीटों पर आकर के जनता के हित में चर्चा करानी चाहिए, बात रखनी चाहिए, ताकि इस प्रदेश में एक बहुत अच्छी परम्परा जारी रह सके।

श्री अध्यक्ष–

नेता बसपा श्री शहजाद जी, कृपया सहयोग करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष, 2008–2009 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–01, विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 113550 हजार (ग्यारह करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 113550 हजार (ग्यारह करोड़ पैंतीस लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में बैठकर अपनी बात को जोर–जोर से कहते रहे।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद्

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 300459 हजार (तीस करोड़ चार लाख उनसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 300459 हजार (तीस करोड़ चार लाख उनसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 548064 हजार (चौवन करोड़ अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक ध नराशि रु0 548064 हजार (चौवन करोड़ अस्सी लाख चौसठ हजार मात्र) से अनधि क धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 75972 हजार (सात करोड़ उनसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्रीमन्, मैं इस पर अपने विचार भी रखना चाहता हूँ। मान्यवर, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप लोक सभा, विधान सभा, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा राज्य सभा निर्वाचनों का कार्य सम्पादित किया जाता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का सतत् पुनरीक्षण एवं मुद्रण का कार्य वर्तमान समय में गतिमान है तथा मतदाताओं हेतु फोटो पहचान पत्र तैयार कर वितरित किये जाने का कार्य निरन्तर सम्पादित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टि में रखते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का सतत सघन पुनरीक्षण/निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में रुपया दो करोड़ तथा फोटो पहचान पत्रों के निर्माण कार्य हेतु रुपया दो करोड़ की धनराशि का आवंटन प्रस्तावित है, जिसकी शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा शेष विधान सभा एवं संसद व निर्वाचन अधिष्ठान व्यय के लेखा शीर्षकों हेतु आवंटित धनराशियों का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 75972 हजार (सात करोड़ उनसठ लाख बहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 14206371 हजार (चौदह सौ बीस करोड़ तिरसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। श्रीमन्, वित्त विभाग सम्पूर्ण राज्य को वित्त अवमुक्त करने की नोडल एजेन्सी है। इसलिए यह धनराशि अवमुक्त करना आवश्यक है और मेरा सम्मानित सदन से आग्रह है कि इस धनराशि की स्वीकृति प्रदान करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 14206371 हजार (चौदह सौ बीस करोड़ तिरसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 4175602 हजार (चार सौ सत्रह करोड़ छप्पन लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, वर्तमान सरकार द्वारा इंस विभाग से सम्बन्धित मांग की आपूर्ति के लिए आपके समक्ष यह प्रस्ताव किया गया है। सरकार इस विषय पर बहुत गम्भीर है और किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं/असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग में विशेष प्रकोष्ठ एवं सर्विलाँस की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष में लगभग रुपया 1 करोड़ 20 लाख की व्यवस्था की गयी थी। आगामी वित्तीय वर्ष में पुलिस आधुनिकीकरण हेतु लगभग रुपया 30 करोड़ 61 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों एवं वाहन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। साथ–साथ आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान संख्या–10 में रु0 5 करोड़, 7 लाख, 3 हजार का प्राविधान कर लिया गया है। भारत–नेपाल सीमा की संवेदनशीलता एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2008–09 में रु0 51 लाख 70 हजार का प्राविधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण एवं जनपद स्तरीय पुलिस शिकायत

प्राधिकरणों के अधिष्ठान हेतु वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में रु0 90 लाख 71 हजार का प्राविधान तथा राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ के लिए रु0 1 करोड़ 1 लाख 25 हजार की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सुरक्षा आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रुपया 60 लाख का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रसिद्ध गंगोत्री धाम की सुरक्षा व्यवस्था तथा जनपद देहरादून में एक देख–रेख चौकी की स्थापना हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है। इसके साथ ही राज्य आन्दोलन के दौरान आन्दोलनकारियों के विरुद्ध कुल 576 वाद दर्ज हुये थे, जिनमें 1959 अभियुक्त थे, उक्त सभी अभियोग अन्तिम रिपोर्ट से समाप्त किये जा चुके हैं। राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अनुमन्य पेंशन, चिकित्सा, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये रुपया 12 करोड़ 57 लाख 23 हजार की धनराशि की वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में इण्डिया रिजर्व वाहिनी, द्वितीय की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार में भूमि का चयन कर लिया गया है। इण्डिया रिजर्व वाहिनी के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 में रुपया 5 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ किये जाने हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु पुलिस प्रशिक्षण कालेज, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन है, जिसके लिये वन भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है। प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों की स्थापना हेतु रुपया 14 करोड़ 50 लाख की वित्तीय व्यवस्था अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 12 वें वित्त आयोग के सहयोग से उक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 5 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु कल्याण निधि की व्यवस्था की गयी है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2008–09 में रुपया 1 करोड़ की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है।

पुलिस विभाग में खेलों के विकास, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, खेल समारोहों के आयोजन हेतु रुपया 1 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2008–09 में कर ली गयी है। इसके साथ–साथ उत्तराखण्ड में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु पुलिस, पी0ए0सी0 तथा अग्नि शमन के लगभग तीन हजार आरक्षियों की भर्ती की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार एक मात्र ऐसा राज्य बना है जिसने ''उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007'' को प्रख्यापित किया है। प्रदेश में कुल 9 करागार स्थापित हैं, जिसमें 2 कारागार रुड़की (हरिद्वार), हल्द्वानी और अन्य कारागार देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल तथा अल्मोड़ा में, एक खुली कारागार सम्पूर्णानन्द

शिविर के नाम से सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) में स्थापित है। इसके साथ ही वर्तमान में सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गम्भीर है कि राज्य के अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा व वाह्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें। राज्य की पुलिस व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो कि वो अपने आप में सक्षम हो और उनके अन्दर सामाजिक सुरक्षा का भाव भी हो। उत्तराखण्ड की पुलिस, मित्र पुलिस के रूप में स्थापित हो, इस लक्ष्य को लेकर के उत्तराखण्ड की वर्तमान सरकार चल रही है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि इस हेतु रु0 4175602 हजार की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की की जाय।

(सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् बैठे रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–10 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 4175602 हजार (चार सौ सत्रह करोड़ छप्पन लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 6581889 हजार (छः सौ अठ्ठावन करोड़ अठारह लाख नवासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए ऊर्जा सेक्टर हेतु कुल 661.59 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं अक्षय ऊर्जा के लिए किया गया है। उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु अंशपूँजी के रूप में रु0 5.00 करोड़, ऋण के रूप में 20.05 करोड़, पूर्व निर्मित विद्युत लाईनों के अनुरक्षण हेतु रु0 10.65 करोड़ एवं निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने के लिए रु0 5.10 करोड़, कुल रु0 41.50 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित एवं अन्य परियोजनाओं के निर्माण तथा पुरानी परियोजनाओं के सुधारीकरण कार्य हेतु कुल रु0 187.57 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है इसके अन्तर्गत मुख्यतः मपाला–मनेरी, असीगंगा, जुम्मागाड़, कालीगंगा, मद्महेश्वर एवं कालड़ीगाड़ जल विद्युत परियोजनाएँ निर्मित की जानी हैं। पॉवर ट्राँसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 को ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं में निवेश हेतु रु0 90.00 करोड़ राज्यॉश तथा रु0 210.00 करोड़ ए0डी0बी0 ऋण कुल रु0 300.00 करोड़ का बजट का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि का प्राविधान राज्य की वर्तमान पारेषण क्षमता 1150 मेगावाट तथा 5500 मेगावाट किया जाना एवं पारेषण हानि कम करने के लिए 200 के0वी0 तथा 400 के0वी0 क्षमता के सब स्टेशन एवं 1391 कि0मी0 विद्युत लाईन का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन हेतु रु0 120.00 करोड़ एवं परियोजना विकास निगम को अंशपूंजी के रूप में रु0 2.00 करोड़, कुल 122.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

उत्तराखण्ड, अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण को सोलर, बायो माईको हाईडिल, घराटों के सुधारीकरण एवं वायु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 9.75 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इस बजट के सापेक्ष विभिन्न परियोजनाओं हेतु भारत सरकार का अंश 40 से 90 प्रतिशत के मध्य निर्धारित है, जो कि उरेडा को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे निर्गत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–21 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 6581889 हजार (छः सौ अठ्ठावन करोड़ अठारह लाख नवासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 11184714 हजार (ग्यारह सौ अठारह करोड़ सैंतालीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, लोक निर्माण विभाग, जिस तरह से राज्य के अन्दर हमने तय किया है कि सन् 2012 तक प्रत्येक गाँव पक्की सड़क से जुड़ जाए। इसी के तहत इस धनराशि की आवश्यकता है। इसलिए इसकी स्वीकृति करने का कष्ट करें।

(सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् बैठे रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–22 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 11184714 हजार (ग्यारह सौ अठारह करोड़ सैंतालीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री (श्रीमती वीना महराना)–

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 3055947 हजार (तीन सौ पाँच करोड़ उनसठ लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या–15 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 3055947 हजार (तीन सौ पाँच करोड़ उनसठ लाख सैंतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 776058 हजार (सतहत्तर करोड़ साठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है। यह क्षेत्र जो राज्य गठन से पूर्व एक उद्योग विहीन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज देश में निवेशकों की सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ है। ऑटो मोबाइल्स, फार्मास्यूटीकल, इंजीनियरिंग, कृषि आधारित उद्योग आदि क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग समूहों एवं उद्यमियों द्वारा यहाँ उद्यम स्थापित किये गये हैं। यह सब तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2002 में की गई 'नैनीताल घोषणा' के अनुरूप प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2003 में स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज की स्वीकृति के कारण ही सम्भव हो सका है। राज्य सरकार का यह पूरा प्रयास है कि जो उद्यमी यहाँ निवेश कर रहे हैं, उन्हें वाँछित सहायता एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध करायी जा सकें। साथ ही औद्योगिक विकास का लाभ अधिक से अधिक प्रदेश के लोगों को मिल सके, इसका भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उद्यमियों को कौशल प्रशिक्षण एवं अपने उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराये जाने की दिशा में प्रेरित किया गया है, जिसका स्पष्ट लाभ अब दिखाई देने लगा है। प्रदेश में कुल लगभग रुपये 30 हजार करोड़ से अधिक पूँजी निवेश के प्रस्ताव क्रियान्वय के विभिन्न चरणों में हैं। जनवरी, 2008 तक भारत सरकार के पैकेज के अन्तर्गत 976 बड़ी इकाइयाँ उत्पादन में आ चुकी हैं, जिनमें रुपये 7722 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है तथा 55 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस धनराशि को स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य अनुदान संख्या-23 पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और कोई सुझाव देना चाहते हैं?

(किसी माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 776058 हजार (सतहत्तर करोड़ साठ लाख अठ्ठावन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 157395 हजार (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष, 2008-09 के लिए सूचना विभाग हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार जन-जन तक करता है। प्रचार-प्रसार हेतु अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने के साथ ही विभाग के माध्यम से मीडिया एवं प्रेस प्रतिनिधियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि जन-जन तक सूचनाओं के त्वरित और निर्बाध प्रवाह में सुगमता हो सके। मान्यवर, पत्रकारों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिए सरकार द्वारा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

मान्यवर, पत्रकारों को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में पाँच लाख रुपये की पृथक से व्यवस्था की गई है। मान्यवर, इस बजट में आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की नियमावली संशोधन कर इसे और अधिक व्यवहारिक व उदार बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। मान्यवर, विभाग द्वारा मीडिया से बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं। उत्तराखण्ड आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इसमें छोटे-छोटे समाचार पत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान था।

मान्यवर, सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए विज्ञापन की मद में प्रस्तावित बजट में सात करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति का गठन किया है। मीडिया सलाहकार समिति के संचालन सम्बन्धी व्यय हेतु पन्द्रह लाख रुपये की धनराशि इस बजट में प्रस्तावित की गयी है। प्रेस प्रतिनिधियों को समाचार संकलन एवं प्रेषण की सुविधा के लिए सचिवालय में भी मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। मान्यवर, विभिन्न जिलों में प्रेस क्लब भवनों के निर्माण एवं विद्यमान भवनों के रखरखाव आदि के लिए इस वित्तीय वर्ष में रुपये 60 लाख का बजट का प्राविधान किया गया है। सूचना विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। इसी श्रृंखला में सूचना निदेशालय के भवन निर्माण के लिए नई माँग के माध्यम से पचास लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है।

मान्यवर, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार दूरदर्शन के माध्यम से कराने हेतु विभाग द्वारा डीडी–01 पर प्रत्येक बुधवार को 15 मिनट की अवधि की साप्ताहिक न्यूज मैग्जीन 'उत्तराखण्ड दर्शन' का प्रसारण किया जा रहा है। न्यूज मैग्जीन एवं अन्य प्रचार परक फिल्मों के निर्माण व प्रदर्शन से सम्बन्धित व्यय के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में साठ लाख रुपये तथा आयोजनागत पक्ष में चौदह लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। मान्यवर, सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर "नई आशा–नया विश्वास", राज्य स्थापना की सातवीं वर्षगाँठ पर "हमारा प्रयास, जन–जन का विकास" तथा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर "शिखर पर नजर" पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया। मान्यवर, विभागीय प्रकाशनों की श्रृंखला को अधिक जनोपयोगी, समयबद्ध व सम–सामयिक बनाने के लिए भी विभाग संकल्पबद्ध है। इस निमित्त आयोजनेत्तर पक्ष में पैंतालीस लाख एवं आयोजनागत पक्ष में सत्रह लाख अस्सी हजार रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है। मान्यवर, अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के प्रचार–प्रसार की विभागीय योजनाओं के लिए आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक–2220, सूचना तथा प्रचार में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत रु0 09 लाख पच्चीस हजार तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत रु0 दो लाख इक्यावन हजार का बजट पृथक से प्रस्तावित किया गया है। मान्यवर, यह एक कल्याणकारी बजट है, इसलिए अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव एवं सुझाव रखना चाहते हों, तो रखें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव नहीं रखे गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 157395 हजार (पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण

*समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 5229395 हजार (पाँच सौ बाईस करोड़ तिरानवे लाख पंचानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए आयोजनागत पक्ष में रुपये 26790.05 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 9634.05 लाख की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट में चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 की अपेक्षा 6.56 प्रतिशत धनराशि की वृद्धि की गयी है। मान्यवर, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 2007–08 में माह फरवरी, 2008 तक 476175 अनुसूचित जाति के छात्रों को रु0 4687.09 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गयी है। पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 हेतु 69950 छात्रों के लिए 830.00 लाख का बजट प्राविधान किया है।

मान्यवर, विकलाँग छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 हेतु 4200 छात्रों को लाभान्वित करने हेतु रु0 35.00 लाख का प्राविधान किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन हेतु वर्ष 2008–09 में 10156.30 लाख का प्राविधान किया गया है। निःशक्तजनों हेतु पेंशन योजना के अन्तर्गत 2008–09 के लिए 1644.74 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, विधवा भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 हेतु 3709.60 लाख की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में अनसूचित जाति की बालिकाओं हेतु रु0 2000.00 लाख तथा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामान्य वर्ग की बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं हेतु रु0 800.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक योजनाओं का संकलन भी बनाया गया है। मान्यवर, यह एक जन कल्याणकारी बजट है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे सर्वसम्मति से पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहें, उस पर बल देना चाहें या कोई सुझाव देना चाहें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किये गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 5229395 हजार (पाँच सौ बाईस करोड़ तिरानवे लाख पंचानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 1675813 हजार (एक सौ सड़सठ करोड़ अठ्ठावन लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्तर्गत हमने प्रदेश के छात्रों और बहनों के कल्याण के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं और उनके लिए बजट का पूर्ण प्राविधान किया है मेरा अनुरोध है कि विपक्ष के माननीय सदस्य, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, वे बजट पर चर्चा में भागीदारी करें और जो बजट यहाँ पर रखा गया है, उसमें अपनी सहमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहें, उस पर बल देना चाहें या कोई सुझाव देना चाहें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती के प्रस्ताव अथवा अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किये गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 1675813 हजार (एक सौ सड़सठ करोड़ अठ्ठावन लाख तेरह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रुपये 847176 हजार (चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के सार्थक प्रयास के द्वारा कम से कम जमीन से अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने तथा वैकल्पिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बागवानी को एक मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में चिन्हित किया गया है, इसके तहत उद्यान विभाग को नये रूप में परिभाषित कर इसके अन्तर्गत चाय विकास, रेशम विकास, जड़ी बूटी विकास, भेषज विकास, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात विकास का समावेश कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में औद्यानिक गतिविधियों के संचालन हेतु आयोजनागत पक्ष की जिला सैक्टर एवं राज्य सैक्टर योजनाओं तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के क्षेत्रों में औद्यानिकी विकास हेतु माह फरवरी, 2008 तक रु0 2967.39 लाख व्यय किया गया। हमारी

सरकार द्वारा इस वर्ष आयोजनागत पक्ष की योजनाओं में रु0 4709.14 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। मान्यवर, औद्यानिकी के अन्तर्गत क्षेत्रफल विस्तार, फल पौध सामग्री आयात कार्यक्रम, बागानों की घेरबाड़ व्यवस्था, ग्रेविटी बेस्ड मैटीरियल हैण्डलिंग रोप–वे व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में कृषकों के प्रक्षेत्र से रोड हेड तक औद्यानिक उपजों के ढुलान हेतु 70 ग्रेविटी बेस्ड मैटीरियल हैण्डलिंग रोप–वे की स्थापना हेतु स्थलों का चयन किया गया है।

राजकीय उद्यानों के सुदृढ़ीकरण के तहत राज्य गठन के बाद लिये गये निर्णयानुसार 27 राजकीय उद्यानों को आदर्श उद्यानों के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी, इस वर्ष 40 अतिरिक्त राजकीय उद्यान सम्मिलित कर आदर्श उद्यान बनाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मैचिंग ग्राण्ट व्यवस्था के तहत उत्पादन एवं उत्तम फसल प्रबन्धन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में 236 परियोजना प्रस्तावों पर भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष समतुल्य अनुदान के रूप में रु0 357.00 लाख की धनराशि बागवानों / उद्यमियों को उपलब्ध करायी गयी है। फलों के विपणन की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है क्योंकि फल उत्पादन के बाद उसके विपणन की समस्या आती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमने समर्थन मूल्य भी घोषित किया है। जिससे सेब का समर्थन मूल्य 4.75 रुपया और माल्टा का समर्थन मूल्य 05.00 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। चाय विकास, सिल्क पार्क की स्थापना और जड़ी बूटी विकास, इसके अतिरिक्त श्रीमन्, अनेकों ऐसे लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिनके माध्यम से उद्यानों का विकास हो और उद्यानों के माध्यम से यहाँ के छोटे और मझोले कृषक इसका लाभ उठा सकें और यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसलिए श्रीमन्, मेरा अनुरोध है कि चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार की धनराशि को स्वीकृत किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि रु0 847176 हजार (चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियाँ वितरित की गई।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008

(विधेयक संख्या वर्ष, 2008)

31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2008 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2008–2009 के लिये रु0 124413195000 दिया जाना

2–उत्तराखण्ड की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग रुपये 124413195000 (रुपये बारह हजार चार सौ इक्तालीस करोड़ इक्तीस लाख पंचानवे हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01–	विधान सभा	राजस्व	108550	7581	116131
		पूँजी	5000	0	5000
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	30286	30286
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रि परिषद	राजस्व	300459	0	300459
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	448064	109077	557141
		पूँजी	100000	0	100000
05–	निर्वाचन	राजस्व	75972	0	75972
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2633864	10711	2644575
		पूँजी	632406	0	632406
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	12644196	13060312	25704508
		पूँजी	1562175	5692212	7254387
8–	आबकारी	राजस्व	61325	0	61325
		पूँजी	10000	0	10000
9–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	37700	37700
		पूँजी	0	10000	10000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	3814799	0	3814799
		पूँजी	360803	0	360803
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	17403722	0	17403722
		पूँजी	1366779	0	1366779
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4246008	0	4246008
		पूँजी	1546909	0	1546909
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	6239801	0	6239801
		पूँजी	45002	0	45002
14–	सूचना	राजस्व	152395	0	152395
		पूँजी	5000	0	5000
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	2910464	0	2910464
		पूँजी	145483	0	145483
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	613529	0	613529
		पूँजी	20000	0	20000
17–	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2663872	0	2663872
		पूँजी	52401	0	52401

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
18–	सहकारिता	राजस्व	206512	0	206512
		पूँजी	40101	0	40101
19–	ग्राम्य विकास	राजस्व	3151984	0	3151984
		पूँजी	955216	0	955216
20–	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2348842	0	2348842
		पूँजी	5496406	0	5496406
21–	ऊर्जा	राजस्व	135039	0	135039
		पूँजी	6446850	0	6446850
22–	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3040913	40204	81117
		पूँजी	8143801	0	8143801
23–	उद्योग	राजस्व	461676	0	461676
		पूँजी	314382	0	314382
24–	परिवहन	राजस्व	238737	0	238737
		पूँजी	1176642	0	1176642
25–	खाद्य	राजस्व	337440	0	337440
		पूँजी	20004	0	20004
26–	पर्यटन	राजस्व	300798	0	300798
		पूँजी	496012	0	496012
27–	वन	राजस्व	3149600	0	3149600
		पूँजी	175103	0	175103
28–	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	765415	0	765415
		पूँजी	88903	0	88903
29–	औद्यानिक विकास	राजस्व	847173	3374	850547
		पूँजी	3	0	3
30–	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	3086491	0	3086491
		पूँजी	2142904	0	2142904
31–	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	938390	0	938390
		पूँजी	737423	0	737423
	योग	राजस्व	73326030	13299245	86625275
		पूँजी	32085708	5702212	37787920
	महायोग		105411738	19001457	124413195

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 14–03–2008 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :–

14 मार्च, 2008

(शुक्रवार)

1– कार्यसूची की मद संख्या–23 के पश्चात् 23 (क) तथा 23 (ख) मदें रख दी जायं।

23 (क) मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

23 (ख) मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करेंगे।

2– सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के मूल निवास प्रमाण–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्रों के जारी करने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के उपाय सुझाने हेतु गठित सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

17 मार्च, 2008

(सोमवार)

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण।

1– उत्तराखण्ड (उत्तराँचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (संशोधन) विधेयक पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

2– उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ

उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की सर्वदलीय समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा आगे के लिए स्थगित

श्री हरभजन सिंह चीमा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "राज्य के विकेन्द्रीकृत विकास में सुधार के लिये राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनः परिसीमन कराया जाय।"

श्रीमन्, यह सर्वविदित है कि हमारा यह प्रदेश उत्तर प्रदेश से विभक्त होकर एक छोटा नया प्रदेश बना है। आखिर यह विचारणीय विषय है कि नये प्रदेश के गठन की आवश्यकता क्यों हुई। नया प्रदेश बनाये जाने की आवश्यकता उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रदेश होना और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश होने के कारण इन 13 जिलों का विकास के क्षेत्र में पिछड़ जाना तथा

(घोर व्यवधान के मध्य)

यहाँ पर कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाना था, यहाँ के निवासियों ने जब यह महसूस किया कि ये 13 जिले विकास के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था सुसज्जित नहीं है तो यहाँ के लोगों ने माँग उठायी। उस समय की बी0जी0पी0 सरकार ने, ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमायें दो बड़े देशों चीन और नेपाल के साथ लगी थीं और जिससे इस प्रदेश की सीमाओं और आन्तरिक भाग में अधिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता महसूस की और इस प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जब केन्द्र सरकार ने संज्ञान लिया, तो इस छोटे प्रदेश का गठन किया। श्रीमन्, इस तथ्य के प्रति कोई दो राय नहीं है कि पूर्व में देश के गठित हुए छोटे राज्यों का विकास इतनी तेजी से हुआ कि वह देश के सामने एक नमूना बन गये और वह आत्मनिर्भरता के प्रति गतिमान हुए।

श्रीमन्, यह हम सब जानते हैं कि गठन से पूर्व इन 13 जिलों में मात्र 19 विधान सभा सीटें थीं। इस छोटे प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने इसे सही ढंग से सुसज्जित करने के लिए इसका विधायिकी परिसीमन करके 70 विधान सभा सीटें बनायीं। इससे यह साबित होता है कि छोटे राज्यों में छोटी विधान सभा बनाने का औचित्य ही यही था कि यहाँ की सरकार इसका संतुलित विकास कर सके। श्रीमन्, यह तथ्य भी सत्य है कि हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मिजोरम आदि राज्यों ने अपने-अपने राज्य के विकास में गति लाने एवं कानून व्यवस्था की पकड़ मजबूत करने हेतु समय-समय पर प्रशासनिक ढाँचों का पुनर्गठन किया।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम-53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री पुष्पेश त्रिपाठी तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से मनेरी भाली परियोजना निर्माण में ग्राम कन्सेण के ग्रामीणों की अधिग्रहीत अवशेष भूमि वापस करने तथा परियोजना में परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने के समर्थन में आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष तीन सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढांग में दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दैवीय आपदा योजना मद से स्वीकृति एवं धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद हरिद्वार के लालढांग क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14–08–2008 को अतिवृष्टि से शासकीय परिसम्पत्तियां तथा सड़कें, बन्ध तथा स्पर (ठोकर) के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी द्वारा विधान सभा क्षेत्र–लालढांग के अन्तर्गत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 02 कार्य योजनाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु रु0 15.94 लाख एवं रु0 8.83 लाख सहित कुल धनराशि रुपये 24.77 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र लालढांग में क्षतिग्रस्त 05 कार्य योजनाओं के आगणन प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग हरिद्वार से प्राप्त हुये हैं जिनमें उप जिलाधिकारी हरिद्वार/लक्सर से जांच कराकर आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र लालढांग द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित पत्र दिनांक 30–01–2008 में उल्लिखित 09 कार्य योजनायें एवं सिंचाई विभाग से प्राप्त क्षतिग्रस्त स्परों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु 04 कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा उप जिलाधिकारी हरिद्वार/लक्सर से जांच आख्या प्राप्त की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही नियमानुसार आपदा राहत कोष के व्यय हेतु निर्धारित मद एवं मानकों के अनुसार कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।]

उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों में निवास कर रही आदिम जनजातियों का पुनर्वास करने के सम्बन्ध में श्री गगन सिंह रजवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[उत्तराखण्ड में निवासरत भोटिया, थारु, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। उक्त पाँचों जनजातियों में बुक्सा एवं राजी जनजातियाँ आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा काफी निर्धन एवं पिछड़ी हैं, जिसके कारण इन्हें आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। राज्य में इनकी कुल जनसंख्या 58675 है।

प्रदेश में निवासरत आदिम जनजाति (बुक्सा एवं राजी) को आदिम श्रेणी में रखे जाने के फलस्वरूप इनके विकास हेतु भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप उक्त आदिम जनजातियों हेतु पूर्व में रुपये 79.64 लाख की धनराशि व्यय कर 362 आवास बनाए गए तथा स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत रुपये 142.86 लाख की धनराशि से 2381 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

कृषि कार्यक्रम/नकदी फसल योजना में रुपये 2.148 लाख की धनराशि से 130 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

इसी प्रकार इनके लिए शौचालय निर्माण, खड़ंजा निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण आदि अन्य कार्यक्रमों में रुपये 108.68 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2002–03 में बुक्सा जनजाति के बेस लाईन सर्वे पर रुपये 10 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

जनजाति उप योजना के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना में आदिम जनजाति यथा बुक्सा एवं राजी बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित/आच्छादित किए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किए गए।

प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभाग द्वारा 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 में आदिम जनजाति (राजी एवं बुक्सा) के आवास निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त रुपये 47.025 लाख की धनराशि के सापेक्ष 121 आवासों के निर्माण हेतु रुपये 33.275 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा आदिम जनजातियों (राजी एवं बुक्सा) के 3146 आवासहीन परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रुपये 865.15 लाख की धनराशि का प्रस्ताव केन्द्राँश की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा आदिम जनजातियों को तराई–भावर/दून–घाटी में पाँच–पाँच एकड़ भूमि देने के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, दिनांक 17–03–2008 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 04 बजकर 11 मिनट पर दिनाँक 17 मार्च, 2008 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

देहरादून,
दिनांक: 14 मार्च, 2008

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 वि0स0 / 488–23–02–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।